UPRB010037702026

न्यायालय VI Addl. District and Session Judge, Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी– (AJAY KUMAR III), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02644**

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1588/2026</u>

1. आफाक खान, उम्र 62 वर्ष, पुत्र स्व० महावत खान

2. अल्ताफ खान उर्फ जुगनू, उम्र 37 वर्ष, पुत्र आफाक खान

निवासीगण–ग्राम सलीमपुर, थाना हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली।

---- प्रार्थी/अभियुक्तगण।

<u>बनाम</u>

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

---- अभियोगी।

दाण्डिक वाद संख्या 67/2020
<u>अपराध संख्या–193/2019</u>
अन्तर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम) 1986,
<u>थाना हरचन्दपुर, जनपद रायबरेली।</u>

<u>दिनांक–05.06.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्तगण आफाक खान व अल्ताफ खान उर्फ जुगनू की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अ०सं० 193/2019, अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट, थाना हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शहनाज खान पुत्र आफाक खान द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "दिनांक 11.06.2019 को प्रभारी निरीक्षक राज कुमार सिंह मय हमराह शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग में मामूर था। भ्रमण के दौरान क्षेत्र के लोगों से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण 1.रामदेव पासी पुत्र राम आसरे, निवासी मझिगवां हरदोई थाना हरचन्दपुर रायबरेली, 2. गुड्डू पुत्र रामदेव पासी निवासी उपरोक्त, 3.शिवराज सिंह पुत्र स्व० शिवपरसन सिंह, निवासी उपरोक्त, 4.धीरेन्द्र सिंह उर्फ दीपू सिंह, निवासी उपरोक्त, 5. योगेन्द्र सिंह उर्फ छोटू सिंह निवासी उपरोक्त, 6.

आफाक खान पुत्र स्व० महावत खान, निवासी सलीमपुर हरचन्दपुर, रायबरेली, 6. अल्ताफ खान उर्फ जुगनू पुत्र आफाक खान, निवासी उपरोक्त जो अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा गिरोह का सरगना रामदेव पासी है जो अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अवैध लाभ अर्जित करने हेतु जघन्य अपराध शरीर संबंधी एवं सम्पत्ति संबंधी अपराध करते हैं तथा गिरोह बनाकर गतवर्षों से निम्न अपराध किये हैं– 1.मु०अ०सं० 150/19 धारा 147/ 148/ 149/ 307/ 302/ 323/ 325/ 504/ 506/ 34 भा.द.स. 2. मु०अ०सं० 182/18 धारा 323/ 504/ 506 भा.द.स. 3. मु०अ०सं० 898/10 धारा 308/ 323/ 504/ 427 भा.द.स. इनके विरूद्ध पंजीकृत हैं। इन्होंने गिरोह बनाकर कम समय में अधिक अवैध धन अर्जित करने हेतु अपराध किये हैं, जिसके कारण जनता में इनका भय एवं आतंक व्याप्त है इनके भय एवं आतंक के कारण जनता के लोग इनके विरूद्ध गवाही देने का अपराध घटित होने के बाद भी सूचना देने में कतराते हैं। इन अपराधियों के इन कृत्यों के कारण जनता में असुरक्षा एवं भय की भावना व्याप्त है। जिसके कारण 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। इनका गैंगचार्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. गैंगचार्ट में निम्नलिखित मुकदमा दर्शाया गया है–

1) मु०अ०सं० 150/19 धारा 147/ 148/ 149/ 307/ 302/ 323/ 325/ 504/ 506/ 34 भा.द.स. थाना हरचन्दपुर, रायबरेली।
2) मु०अ०सं० 182/18 धारा 323/ 504/ 506 भा.द.स.
3) मु०अ०सं० 898/10 धारा 308/ 323/ 504/ 427 भा.द.स.

5. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त कथित अपराध में अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। मिथ्यारोपित अपराधों के अलावा अभियुक्त के द्वारा कारित किसी प्रकार के अपराध का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण आपस में पिता पुत्र हैं और किसी प्रकार का अपराध कारित करने के लिए आपराधिक गिरोह नहीं है और ना ही किसी गिरोह का सदस्य है। अभियुक्तगण जमींदार खानदान से तालुकात रखते हैं और आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए बुजुर्गों के द्वारा वंशानुगत में मिली चल व अचल सम्पत्ति परिवार के भरण–पोषण के लिए पर्याप्त है। तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में हत्या जैसे गम्भीर अपराधिक मुकदमें में फर्जी फंसाया और फर्जी तरीके से तत्कालीन ग्राम प्रधान रामदेव पासी

अनुसूचित जाति का होने के कारण गैंग लीडर दर्शाकर झूठा गैंग चार्ट बनाकर गैंगेस्टर एक्ट में मिथ्यारोपित किया है। उक्त कथित अपराध मात्र पुलिस का गुडवर्क है जिससे थानाध्यक्ष से पदोन्नति हो सके। अभियुक्तगण अपनी स्थानीय एवं विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार हैं दौरान विचारण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त एक संगठिक गिरोह का गैंग लीडर है, जो अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध लाभ अर्जित करने हेतु शरीर संबंधी एवं सम्पत्ति संबंधी जैसा जघन्य अपराध करते हैं तथा कम समय में अधिक अवैध धन अर्जित किया गया है। इस गिरोह के विरूद्ध गवाही देने के लिए कोई हिम्मत नहीं कर पाता। अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में एक मुकदमा पंजीकृत है। पुनः उसी प्रकार के अपराध में सम्मिलित होने से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण बुजुर्गों के द्वारा वंशानुगत में मिली चल व अचल सम्पत्ति से परिवार का भरण–पोषण करते हैं। तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में हत्या जैसे गम्भीर आपराधिक मुकदमें में फर्जी फंसाया गया है। प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण पर उपरोक्त प्रकृति का अपराध नहीं सृजित होता है। अभियोजन पक्ष के पास अभियुक्त के विरूद्ध घटना में शामिल होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा गलत तरीके से मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

7– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक गिरोहबंद अधिनियम को सुना तथा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं केस डायरी पूरक गैंगचार्ट आदि का अवलोकन किया।

8– उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रपत्रों, प्रथम सूचना रिपोर्ट, गैंगचार्ट, केस डायरी आदि के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण एक संगठिक गिरोह के गैंग सदस्य हैं। उक्त गिरोह का कार्य गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर गैंगचार्ट में वर्णित अपराध करना व अवैध धन अर्जन हेतु शरीर व सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु जघन्य अपराध करना इनका मुख्य पेशा है। अभियुक्तगण को गैंग सदस्य दर्शाते हुए गैंगचार्ट जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिसके आधार पर प्रस्तुत धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट का अपराध पंजीकृत हुआ है।

9– यद्यपि अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके विरूद्ध गैंगचार्ट में एक अभियोग दर्शित किया गया है। अभियुक्तगण पर यह अभियोग है कि उसका एक संगठित

गिरोह है, जिसके वह सदस्य हैं तथा वह अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध धन अर्जन हेतु शरीर व सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु जघन्य अपराध करने का अपराध कारित किया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई ऐसा तथ्य दर्शाया नहीं गया है कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसके द्वारा गिरोह बंद अधिनियम के अधीन अपराध न किया गया हो और ना ही कोई ऐसा तथ्य दर्शित किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि जमानत पर छूटने पर उसके द्वारा भविष्य में ऐसा कोई अपराध कारित किये जाने की संभावना नहीं है। अतः मैं इस स्तर पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **आफाक खान तथा अल्ताफ खान उर्फ जुगनू** द्वारा अपराध संख्या–193/2019, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम)1986, थाना हरचन्दपुर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक 05.06.2026

(अजय कुमार–III)
षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
(JO CODE–UP2644)

सूरज शर्मा
(आशुलिपिक)

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.05 13:43:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Raebareli